न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बजरंग सिंह बनाम पदम सिंह	
28-5-18	BT.N. ~~मुकदमा~~ – 879/2017 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 [illegible] संयुक्त शासन सचिव [illegible] (ग्रुप-1) विभाग जयपुर [illegible] की पालना एवं [illegible] 12 (15) [illegible] [illegible] लोक अदालत की [illegible] किया [illegible] 19-6-18 तलब होकर [illegible] में पत्रावली [illegible] पत्रावली लोक अदालत [illegible] पेश हुई। [illegible] अदालत / कैम्प कोर्ट स्थल [illegible] व सुनवाई हेतु रखी जानी [illegible] अटल सेवा केन्द्र—— श्रीमाधोपुर में दिनांक – 15-6-18 को पत्रावली पेश हो। तथा निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु सम्बंधित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Gm	
[illegible]-6-18	पत्रावली प्रकरण लोक अदालत / कैम्प कोर्ट [illegible]–.. श्रीमाधोपुर...... में पेश हुआ / वकील वादी प्रतिवादी तथा पक्षकारान उपस्थित / अनुपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा व मेलजोल के प्रयास किये गये। मेलजोल के प्रयासों के बावजूद भी [illegible] व पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका। अतः पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 19-6-18 को पेश हो। Gm	
29.06.2018	वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली इकजाई पेशी 18.09.2018 से पूर्व तलब होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलो अप कैम्प– श्रीमाधोपुर में पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण ने उपस्थित होकर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 5 के विरूद्ध दिनांक 20.01.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। साक्ष्य वादीगण में वादी बजरंगसिंह व साक्ष्य गवाहान् में मानसिंह, बहादुरसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गयें। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। Gm	मुताबिक राजीनामा दावेका फैसला कर दिया जावे तो हमें कोई एतराज नहीं है। बजरंगसिंह [illegible]

Scanned by CamScanner

बजरंग सिंह बनाम पदम सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	मुकदमा BT- 879/2017 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	बजरंगसिंह वगै0 बनाम् पदमसिंह वगै0 दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मुकदमा नम्बर 290/201 बी.टी. नं. 879/2017 प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 704, 545, 705, 454 मी. जिसके हाल खसरा नम्बर 708, 547, 709, 547, 710, एंव खसरा नम्बर 547 मी. हाल खसरा नम्बर 865, 866, साबिक खसरा नम्बर 550 कुल किता 8 कुल रकबा 2.22 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/4 काबिज काश्त खातेदार काश्तकार वादीगण राजस्व रिकार्ड में निरन्तर पिता–दादा के वक्त से दर्ज चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बचनसिंह व चाचा भँवरसिंह के केवल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/4 दर्ज है तथा उक्त भँवरसिंह 55 वर्ष पूर्व तथा उक्त बच्चनसिंह 50 वर्ष पूर्व फौत हो गये थे। उक्त मृत्तकों का नाम केवल रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। उक्त के नाम 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/4 पर भी वादीगण 60 वर्ष से अपने पिता दादा के वक्त से निरन्तर काबिज काश्त है तथा लगातार लगान वादीगण अदा करते चले आ रहे है जबकि प्रतिवादी न. 1 खातेदार काश्तकार नहीं है तथा वह मौके पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहा है एंव ना है। ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 683, 687, 842, 843 कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्टर में 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम व 1/2 भाग की खातेदारी भँवरसिंह बच्चनसिंह पुत्रान बलवन्तसिंह राजपूत निवासी पीथलपुर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त भँवरसिंह 55 वर्ष पूर्व तथा उक्त बच्चनसिंह 50 वर्ष पूर्व फौत हो गये थे उक्त के नाम 1/2 हिस्सा पर 60 वर्ष से लगातार वादीगण अपने पिता दादा के वक्त से निरन्तर काबिज काश्त बतौर खातेदार चले आ रहे [illegible] लगान [illegible] करते चले आ रहे है। Gm

Scanned by CamScanner

बजरंग सिंह बनाम पदम सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

BT.N. — 879/2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बजरंगसिंह वगै0 बनाम् पदमसिंह वगै0 दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मुकदमा नम्बर 290/201 बी.टी. नं. 879/2017 राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी, गिरदावरियाँ, रसीदात् लगान बहक वादीगण है। वादीगण विधि की नजर में खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। ग्राम पीथलपुर के खसरा नम्बर 602, 603 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टर के 1/2 भाग की खातेदारी भॅवरसिंह बचनसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत निवासी पीथलपुर के दर्ज रिकार्ड है। उक्त भॅवरसिंह 55 वर्ष पूर्व तथा उक्त बच्चनसिंह 50 वर्ष पूर्व फौत हो गये थे। वादीगण के पिता प्रहलादसिंह तथा दादा रामलालसिंह पुत्र मंगलसिंह तथा बलवन्तसिंह पुत्र मंगलसिंह की कृषि भूमि ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1590, 1597, 1598, 1599 कुल किता 4 कुल रकबा 3.80 हैक्टर में हिस्सा था तथा भॅवरसिंह कुआरां मरा था उसके जसवन्तसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं था, न पैदा हुआ था तथा आज से 60 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता प्रहलादसिंह व दादा रामलालसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 पदमसिंह के पिता बलवन्तसिंह एंव चाचा भॅवरसिंह के मध्य जुबानी पारिवारिक निपटारा शामलाती कृषि भूमियाँ जो मद न. 1 ता 3 में दर्ज है बाबत वादीगण के पिता व दादा के हिस्से की तो पहले से उनके नाम है तथा भॅवर सिह, बच्चनसिंह के हिस्से की रामलाल सिंह पुत्र मंगलसिंह तथा प्रहलादसिंह पुत्र रामलाल सिंह अकेले के हिस्से में रहेगी। जो वादीगण के पिता व दादा अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा सकेगें। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व चाचा भॅवरसिंह का कोई संबंध नहीं रहेगा। ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1590, 1597, 1598, 1599 में से वादीगण के पिता व दादा की खातेदारी कब्जे काश्त की समस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 पदमसिंह के पिता बच्चनसिंह व चाचा भॅवरसिंह व उसका वारिस पदमसिंह अकेले के नाम खातेदारी में Gm-	

Scanned by CamScanner

बजरंगसिंह बनाम पदमसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

BT. N. - 879/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	बजरंगसिंह वगै0 बनाम् पदमसिंह वगै0 दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मुकदमा नम्बर 290/201 बी.टी. नं. 879/2017 दर्ज करवा सकेगे। जिससे वादीगण के पिता व दादा का कोई वास्ता नहीं रहेगा। उक्त जुबानी पारिवारिक निपटारा उपरान्त 60 वर्ष से लगातार वादीगण ग्राम पीथलपुर की भूमियों पर वादीगण के पिता व दादा के वक्त से लगातार बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। खसरा गिरदावरियों में भी वादीगण के दादा, पिता का काश्त करने बाबत नाम अंकित चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा भॅंवरसिंह की मृत्यु 55 वर्ष पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बचनसिंह की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो गई थी तथा पारिवारिक निपटारा जुबानी 60 वर्ष पूर्व होते ही प्रतिवादी के चाचा भॅंवरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बचनसिंह ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ अपने हिस्से में आई उक्त भूमियों पर जाकर बस गये थें तथा कभी भी ग्राम पीथलपुर की जमीन को काश्त नहीं किया न कभी लगान अदा किया तथा वादीगण अपने पिता व दादा रामलालसिंह के वक्त से निरन्तर उक्त स्वयं की तथा भॅंवरसिंह बचनसिंह की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ में हुआ था जो जन्म से ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ में रहा है वहीं पर स्थित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा भॅंवरसिंह व पिता बचनसिंह का नाम ग्राम पीथलपुर के जन्म/मृत्यु रजिस्टर, वोटर लिस्ट, परिवार राशनकार्ड में नाम दर्ज नहीं है। उक्त व्यक्तियों का नाम ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ में हुआ है। वहाँ के परिवार राशन 6m	

Scanned by CamScanner

बजरंगसिंह बनाम पदमसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

BT.N. - 879/2017

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

बजरंगसिंह वगै0 बनाम् पदमसिंह वगै0
दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व
दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
मुकदमा नम्बर 290/201 बी.टी. नं. 879/2017

कार्ड, वोटर आई.कार्ड, बना हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पीथलपुर में कभी नहीं रहा एंव विवादित भूमि को भी नहीं जानता है ना ही उसने कभी काश्त की है। विवादित भूमि से उसका कभी कोई संबध नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म 75 वर्ष पूर्व हुआ था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार व खानदान से है जो प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट है। प्रतिवादी न. 1 ने पहले तो उक्त विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से कराने हेतु सहमति दे दी परन्तु दिनांक 30.04.2014 को गांव में आने तथा वादीगण से मिलने के उपरान्त प्रतिवादी न. 1 ने दिनांक 23.9.2014 को धमकी दी कि जमीन प्रतिवादी न. 1 के नाम होते ही दीगर व्यक्ति को अपना हिस्सा बेच देगा व मौके से बेदखल कर देगा। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी न.1 पारिवारिक बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। खातेदारी भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादीगण ने वादपत्र में किया है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार सजरा खानदान से है। वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 के

Gm-

Scanned by CamScanner

बजरंगसिंह बनाम पदमसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

B.T.N. 879/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	बजरंगसिंह वगै0 बनाम् पदमसिंह वगै0 दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मुकदमा नम्बर 290 / 201 बी.टी. नं. 879 / 2017 नाम ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ़ में भूमि खसरा नम्बर 1590, 1597, 1598, 1599 कुल किता 4 कुल रकबा 3.80 हैक्टर होना अंकित किया है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 की फोटोप्रति पेश की गई। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में वादीगण के पिता व प्रतिवादी न. 1 के पिता के 60 वर्ष पूर्व ही पारिवारिक बाहमी बंटवारा हो चूका है। प्रतिवादी सं. 1 का जन्म लगभग 75 वर्ष पूर्व ग्राम करड़ में ही हुआ है एंव प्रतिवादी नं. 1 के चाचा भँवरसिंह व पिता बचनसिंह की मृत्यु भ ग्राम करड़ में ही हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमियो पर वादीगण ही वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चला आ रहा है। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरियों में भी वादीगण के पिता प्रहलादसिंह व दादा रामलालसिंह का नाम व प्रतिवादी न. 1 के चाचा भँवरसिंह व पिता बचनसिंह का नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। वादीगण के पिता व प्रतिवादी न. 1 के चाचा/पिता एक ही सजरा खानदान से होकर एक ही परिवार से सम्बन्धित है। जो प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट होता है। प्रकरण में पक्षकारान् ने आपस में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। जिसमें प्रतिवादी न. 1 ने उपस्थित होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया है तथा वादीगण साक्ष्य में प्रस्तुत वादीगण व गवाहान द्वारा पेश शपथपत्रों में भी वादीगण के कब्जे काश्त होने बाबत समर्थन किया है। जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता हूँ। Gm	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर व अहकाम हुक्म की ... हुक्म में जारी	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बजरंगसिंह वगै० बनाम पदमसिंह वगै० दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मुकदमा नम्बर 290/201 बी.टी. नं. 879/2017	

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलोअप कैम्प–श्रीमाधोपुर में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 704,705, 708, 709, 710, 865, 866, 873 कुल किता 8 कुल रकबा 2.22 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर के हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/4 का वादीगण पहले से खातेदार काश्तकार है के अलावा शेष हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/4 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से भॅंवरसिंह,बचनसिंह पिता बलवन्तसिंह का नाम हजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 683, 687, 842, 843 कुल किता 4 कुल रकबा 2.21 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर के 1/2 भाग के वादीगण पहले से खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से भॅंवरसिंह, बचनसिंह पिता बलवन्तसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलो अप कैम्प–श्रीमाधोपुर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner